बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 184966 दिनांक :- 07/05/14

ग्रा0वि0/सू0अ0को0/विविध-02/14

प्रेषक,

प्रमोद कुमार बिहारी,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- **सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 की धारा - 25 के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के दौरान संपादित कार्यों का प्रतिवेदन नियमानुसार राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार कर सरकार को प्रस्तुत किया जाना है ताकि उक्त प्रतिवेदन को विधान मंडल के समक्ष उपस्थापित किया जा सके ।

राज्य सूचना आयोग के पत्रांक-109 दिनांक-24.04.2014 की छाया प्रति अनुलग्नक सहित संलग्न करते हुए अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्र में अपने अधीनस्थ पड़ने वाले जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अनुमंडलों एवं प्रखंडों से वर्ष 2013-14 का समेकित वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त कर इस विभाग को **दिनांक-20.05.2014** तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि आयोग द्वारा निर्धारित तिथि **दिनांक-31.05.2014** तक प्रतिवेदन भेजा जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,

अनु0 - यथोक्त ।

(प्रमोद कुमार बिहारी)
विशेष सचिव।

राज्य सूचना आयोग

सूचना भवन, चौथा तल्ला, बेली रोड, बिहार, पटना।
दूरभाष- 2215713, 2235059, फैक्स-2235466

पत्रांक–1/स्था0–04/14/109/रा0सू0आ0 पटना, दिनांक 24/4/2014

सेवा में,

मुख्य सचिव, बिहार।
सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार।
विकास आयुक्त, बिहार।
सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–25 के तहत वित्तीय वर्ष 2013–14 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–25 में इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान सम्पादित कार्यो का प्रतिवेदन आयोग द्वारा तैयार कर सरकार को प्रस्तुत किया जाना है, ताकि उक्त प्रतिवेदन को विधान मंडल के समक्ष सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सके।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–25 के उप नियम 3 मे उन बिन्दुओं का सविस्तार उल्लेख किया गया है, जिसके विषय में प्रतिवेदन तैयार किया जाना है। आयेाग को संलग्न प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन भेजना है। प्रत्येक विभाग, मुख्यालय के साथ–साथ अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (निदेशालय/बोर्ड/निगम/प्राधिकार/निकाय आदि सहित) से संबंधित सूचना एकत्र कर सी0डी0 और संलग्न प्रपत्र में आयोग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। यदि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा कोई उल्लेखनीय कार्य किया गया है, तो अभ्युक्ति स्तम्भ में इस आशय की प्रविष्टि की जाय ताकि उन्हें पुरस्कृत एवं सम्मानित करने पर भी विचार किया जा सके।

3. वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने का स्पष्ट प्रयोजन यह है कि सूचना का अधिकार का कार्यान्वयन लोक प्राधिकारों के उच्च स्तर से लेकर निम्नस्तरीय प्रशासनिक इकाइयों तक किया जा रहा है या नहीं। इसके लिए यह आवश्यक है कि वैसे विभाग जिनमें निदेशालय/बोर्ड/निगम/प्राधिकार आदि हों उनकी सूचनाऐं वे इस प्रकार से देगें कि अधीनस्थ समस्त संभागों के लोक प्राधिकारों का प्रतिवेदन सद्य उजागर हो सके, जैसे नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सभी नगर निगमों, सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों से संबंधित प्रतिवेदन अलग–अलग विवरणी में संधारित किये जाएें। उसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आदि विभाग अपने अधीनस्थों के विषय में पृथक–पृथक रूप से, यथा विहित प्रपत्र में सूचनाऐं/प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराएगें। विहित प्रपत्र में उल्लेखित समस्त सूचनाओं का प्रेषण आवश्यक है।

4. अनुरोध होगा कि इसे उच्च प्राथमिकता देते हुए **दिनांक 31.05.14** तक पूरे **वित्तीय वर्ष 2013–14 (यानि 01.04.13 से 31.03.14)** तक का वार्षिक प्रतिवेदन आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

अनुलग्नक :– वार्षिक प्रतिवेदन के लिए प्रपत्र।

विश्वासभाजन
22.4.14
(डी0 पी0 चौधरी)
सचिव

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र–1

क्रम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2013–14 मे लो0सू0पदा0 के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	कितने मामलों में राज्य सूचना आयोग द्वारा लो0सू0पदा0 पर आर्थिक दण्ड तथा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी उनकी संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड की कुल राशि	वसुली की गयी कुल राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यालय स्तर पर लोक सूचना पदाधिकारी										
2	क्षेत्रीय कार्यालयों के लोक सूचना पदाधिकारी										
3	निदेशालय										
4	निगम										
5	बोर्ड										
6	प्राधिकार										
7	निकाय										
8	अन्य										
9	कुल योग										

टिप्पणी:– (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।
(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम 3 (च) एवं (छ) में विहित् प्रावधानों के तहत् विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत् किसी अधिकारी के विरूद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0डी0 फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

प्रथम अपीलीय प्राधिकार से संबंधित प्रतिवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र–2

क्रम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2013–14 मे प्रथम अपीलीय पदा0 के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	अभ्युक्ति
1	मुख्यालय स्तर पर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी							
2	क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी							
3	निदेशालय							
4	निगम							
5	बोर्ड							
6	प्राधिकार							
7	निकाय							
8	अन्य							
9	कुल योग							

टिप्पणीः– (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम 3 (च) एवं (छ) में विहित् प्रावधानों के तहत् विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत् किसी अधिकारी के विरूद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0डी0 फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।